न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 106/2020

GCMS No. : 2020/00269

वादीगण :-

भीकाराम उर्फ भागू पुत्र नैना फौत का0मु0-

1. हाथीराम पुत्र भीका उर्फ भागू
2. हनुमानराम पुत्र भीका उर्फ भागू
3. सीयाराम पुत्र भीका उर्फ भागू
4. शोभा पुत्री भीका उर्फ भागू
5. संतोष देवी पुत्री भीका उर्फ भागू
6. भंवरी देवी पत्नी भीका उर्फ भागू

जातियान जाट निवासी डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगणः-

1. हनुमानचंद पुत्र पुखराज
2. पूरणमल पुत्र पुखराज जाति महाजन निवासी डिगरना तहसील जैतारण जिला पाली।
3. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण।
4. तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188राज0काश्त0 अधि0 1955,व धारा 128 भू रा0 अधिनियम1956 **तारीख रजू:-26/10/2020**

उपस्थितः-

1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण

-:: निर्णय ::- **दिनॉक :- 07/03/2022**

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन वास्ते जवाबदावा तलब किये गये। प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। जिन्हे वादी स्वयं साबित करे। वादपत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूठे व बेबूनियाद होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 142 की भूमि से जवाब देहन्दागण का कोई सम्बन्ध नही है। खसरा नम्बर 141 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार जवाब देहन्दागण व अन्य है। जिसके कब्जे काश्त एवं हक अधिकार को लेकर जवाब देहन्दागण व अन्य हिस्सेदारों के बीच किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है। इस पद में वर्णित अनुसार यह बात सही है कि खसरा नम्बर 141 में से 1/3 वे हिस्से की भूमि [illegible] जवाब देहन्दागण ने पपुड़ी देवी पत्नि डावरराम जाट को बैचान कर दी [illegible] में से 26/224 वे हिस्से की भूमि जवाब देहन्दागण ने राजकीय [illegible] चिकित्सालय के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार चिकित्सा विभाग के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध [illegible]पत्र के दान कर [illegible] माफिक चिकित्सा विभाग के पक्ष नामान्तकरण की कार्यवाही करते हुये मौके पर राज्य सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

द्वारा चिकित्यालय बनाया गया है। इस प्रकार से जवाब देहन्दागण के खसरा नम्बर 141 के नाप चौप व सीमाओं के सम्बन्ध में जवाब देहन्दागण द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया गया। न ही जवाब देहन्दागण एवं सह हिस्सेदारों के बीच खसरा नम्बर 141 की भूमि के नाप चौप व बंटवाड़े को लेकर कोई विवाद हुआ है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 141 की सम्पूर्ण भूमि निर्विवाद है। उसके बावजूद भी वादीगण ने इस भूमि को अनावश्यक रूप से विवादित होना बताकर के यह वादपत्र पेश किया है,जो काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूटे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 142 की भूमि से जवाब देहन्दागण का कोई सम्बन्ध नहीं है। न ही जवाब देहन्दागण खसरा नम्बर 142 की भूमि पर कोई अतिक्रमण किया है। माठ तोड़ने का आरोप भी कतई गलत होने से अस्वीकार है। साथ ही खसरा नम्बर 141 की भूमि के सम्बन्ध में भू-माफियों से मिलने एवं लाठी लकड़ी के बल पर भू-रूपान्तरण करवाये बिना कॉलोनी काट देने से सम्बन्धित आरोप भी कतई गलत है। जवाब देहन्दागण ने खसरा नम्बर 142 या अन्य किसी भूमि पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण नही किया है। उसके बावजूद भी यदि खसरा नम्बर 141 व 142 की भूमि का नाप चौप कर सीमाज्ञान एवं पत्थर गड्डी एवं नेखबन्दी करवायी जाती है तो जवाब देहन्दागण को कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से जवाब देहन्दागण खसरा नम्बर 141 रकबा 16 बीधा 16 बिस्वा के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। जिसके कब्जे काश्त एवं हक अधिकार को लेकर जवाब देहन्दागण व अन्य हिस्सेदारों के बीच किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है। तथा जवाब देहन्दागण के खसरा नम्बर 141 के नाप चौप च सीमाओं के सम्बन्ध में जवाब देहन्दागण द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया गया। न ही जवाब देहन्दागण एवं सह हिस्सेदारों के बीच खसरा नम्बर 141 की भूमि के नाप चौप व बंटवाड़े को लेकर कोई विवाद हुआ है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 141 की सम्पूर्ण भूमि निर्विवाद है। उसके बावजूद भी वादीगण ने इस भूमि को अनावश्यक रूप से विवादित होना बताकर के यह वादपत्र पेश किया है, जो काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूटे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 142 की भूमि से जवाब देहन्दागण का कोई सम्बन्ध नहीं है। खसरा नम्बर 141 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा के रेकर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार जवाब देहन्दागण व अन्य है। जिसके कब्जे काश्त एवं हक अधिकार को लेकर जवाब देहन्दागण व अन्य हिस्सेदारों के बीच किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं है। इस पद में वर्णित अनुसार यह बात सही है कि खसरा नम्बर 141 मे से 1/3 वे हिस्से की भूमि में से जवाब देहन्दागण ने पपुड़ी देवी पत्नि डांवरराम जाट को बैचान कर दी थी। शेष हिस्से में से 26/224 वे हिस्से की भूमि जवाब देहन्दागण ने राजकीय चिकित्सालय के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार चिकित्सा विभाग के पक्ष में जरिये पंजीबद्ध दानपत्र के दान कर दी। उसी माफिक चिकित्सा विभाग के पक्ष नामान्तकरण की कार्यवाही करते हुये मौके पर राज्य सरकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

द्वारा चिकित्यालय बनाया गया है। इस प्रकार से जवाब देहन्दागण के खसरा नम्बर 141 के नाप चौप व सीमाओं के सम्बन्ध में जवाब देहन्दागण द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया गया। न ही जवाब देहन्दागण एवं सह हिस्सेदारों के बीच खसरा नम्बर 141 की भूमि के नाप चौप व बंटवाड़े को लेकर कोई विवाद हुआ है। इस प्रकार से खसरा नम्बर 141 की सम्पूर्ण भूमि निर्विवाद है। उसके बावजूद भी वादीगण ने इस भूमि को अनावश्यक रूप से विवादित होना बताकर के यह वादपत्र पेश किया है। जिसमें वादीगण ने अपने आप को अपूर्णीय क्षति होने एवं वाद बाहुल्यता होने से सम्बन्धित झूठे आरोप लगाये है। खसरा नम्बर 141 व 142 के बीच के सीमाज्ञान एवं पत्थर गड्डी करवाये जाने पर जवाब देहन्दागण को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही खसरा नम्बर 142 के सम्बन्ध में किये जाने वाले नामान्तकरण से सम्बन्धित भी कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार से वादीगण ने असत्य झूठा व निराधार वादपत्र पेश किया है जो काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतया असत्य झूटा बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। वादीगण द्वारा दिनांक 23.10.2020 को मौके पर विवाद होने से सम्बन्धित झूठे तथ्यो का समावेश किया है। तथा इस प्रकरण में वास्तविकता इस प्रकार से है कि खसरा नम्बर 141 की भूमि जवाब देहन्दागण व उनके सहहिस्सेदारों के कब्जे काश्त की है। जिसे वादीगण व उनसे हितबद्ध व्यक्ति स्वयं खरीदना चाहते हैं जिसमें जवाब देहन्दागण सहमत नहीं है। तब वादीगण के मनमाफिक जवाब देहन्दागण द्वारा सहमत नहीं होने से जवाब देहन्दागण को उद्यापित करने करने की मंशा से वादीगण ने यह झूठा दावा पेश किया है। भूमि के नाप चौप सीमाज्ञान एवं पत्थर गड्डी के बाबत पक्षकारो में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। तथा मौके पर जवाब देहन्दागण का ही कब्जा एवं हक अधिकार हैं। एवं इस भूमि के कब्जे व हक अधिकार को लेकर पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं है। न ही वाद बाहुल्यता होने का कोई अंदेशा है वादीगण में अपूर्णीय क्षति होने के कथन भी झूठे अंकित करते हुये जवाब देहन्दागण पर झूठे आरोप लगाये है जो कतई असत्य होने से अस्वीकार है। इस प्रकार से वादीगण जवाब देहन्दागण के विरुद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का कतई अधिकारी नहीं होने से वादीगण का वादपत्र काबिज होने से अस्वीकार है। खारिज के होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 06 में वर्णित अनुसार खसरा नम्बर 141 व 142 के माठ का सीमाज्ञान व पत्थर गड्डी करवायी जाती है तो इसमें जवाब देहन्दागण सहमत है। लेकिन इस पद में वर्णित अन्य आरोप असत्य होने से अस्वीकार है। जिससे सम्बन्धित विस्तृत जानकारी पूर्व में दी जा चुकी है। वादपत्र के पद संख्या 07 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत के है। वादपत्र के पद संख्या 08 में वर्णित बिनाय वाद कतई असत्य झूठा व [illegible] होने से अस्वीकार है। वादीगण को जवाब देहन्दागण के विरुद्ध [illegible] होता है। म्याद व क्षेत्राधिकार का प्रश्न कानूनी है। जो काबिल गौर अदालत के है। वादपत्र के पद संख्या 09 मालियत बाबत हैं जो काबिल गौर अदालत [illegible] है। जवाब दावा के पद संख्या 10 में अनुतोष वादीगण कतई असत्य व झूठा एवं विधि विरूद्ध होने से वादीगण इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:19 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रकार का घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से वादीगण का वादपत्र खारिज योग्य है जो खारिज किया जावें। व साथ ही इस वादपत्र का वाद व्यय भी जवाब देहन्दागण को वादीगण से दिलाया जावें। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा जाहिर किया गया कि प्रकरण में अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत करना नही चाहते है अतः प्रकरण उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर गुणावगुण पर निर्णित कर दिया जाये जिस पर उभयपक्षक की सहमति से बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया। पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है।

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हस्तगत दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डिगरना की वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 142 रकबा 32 बीघा वादीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त आराजी है जिसमें वादीगण के अलावा अन्य सहखातेदारान् भी है। वादीगण की आराजी के पास ही प्रतिवादीगण की आराजी खसरा संख्या 141 रकबा 16-16 बीघा स्थित है जिसमें से प्रतिवादीगण द्वारा कुछ आराजी बैचान कर दी गई है। प्रतिवादीगण अपनी आराजी से आगे बढते हुए वादीगण की आराजी खसरा संख्या 142 की माठ को हटाते हुए वादीगण की आराजी पर कब्जा कर रहे है। मौके पर खसरा संख्या 141 व 142 का माप चौप नही करवाया गया। प्रतिवादीगण द्वारा आये दिन वादीगण को धमकी दी जा रही है कि उनके द्वारा वादीगण की आराजी को खसरा संख्या 141 के भू भाग में मिला देंगे। अतः खसरा संख्या 141 व 142 का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाई जाकर माठ कायम की जावे। तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण की आराजी में दखल अन्दाजी नही करे।

2. प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावे में वादीगण के शेष कथनो का खण्डन करते हुए मांग की गई है कि खसरा संख्या 141 व 142 के माठ का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाई जाती है तो इसमे जवाब देहन्दागण सहमत है।

3. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख ग्राम डिगरना की जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के अनुसार खसरा संख्या 142 रकबा 32 बीघा वादीगण के अलावा कई अन्य सहखातेदारान् की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है इसी प्रकार खसरा संख्या 141 रकबा 16-16 बीघा प्रतिवादीगण पुरणमल,हनुमानचंद पिसरान् पुखराज कौम महाजन के अलावा पप्पुड़ी देवी पत्नी डांवरराम एवं जिला चिकित्सा अधिकारी, पाली जरिए अधिकृत प्रतिनिधि चिकित्सा प्रभारी डिगरना की सहखातेदारी भूमि है।

4. चूंकि वादीगण के अलावा भी वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 142 के अन्य सहखातेदार भी है जिन्हे पक्षकार के रूप मे संयोजित नही किया गया है साथ ही खसरा संख्या 142 की आराजी अविभाजित सहखातेदारी भूमि है अतः उक्त आराजी के संबंध में केवल वादीगण का ही हक एवं अधिकार निहित नही है। अतः केवल वादीगण के पक्ष में स्थाई निषधाज्ञा जारी किया जाना विधि संगत एवं उचित नही हो सकता।

5. खसरा संख्या 141 व 142 की आराजी सीमाये परस्पर लगती है, उभयपक्ष द्वारा इस बात पर सहमति जाहिर की गई है कि मौके पर दोनो आराजीयात् की स्पष्ट माठ एवं सीमा चिह्न नही है जिससे खातेदारान् के मध्य सीमा विवाद उत्पन्न होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

रहता है। अतः मौके पर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाई जावे। विभिन्न खसराओं की सीमा को लेकर उत्पन्न विवादो के निस्तारण के लिए भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया अपनाई जाकर सीमांकन की कार्यवाही करते हुए धारा 128 के अन्तर्गत प्रार्थीगण के खर्चे पर मौके पर पत्थरगढी की जाकर सीमा विवादो को विधिसंगत रूप से हल किया जा सकता है। अतः वादपत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अंतर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 सपठित धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम– डिगरना पटवार हल्का–डिगरना तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 142 रकबा 32–00 बीघा एवं अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 141 रकबा 16–16 बीघा भूमि का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पावंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि खसरा संख्या 141 में से जरिए दानपत्र चिकित्सा विभाग को प्राप्त भूमि का अलग खसरा संख्या आंवटित करते हुए मौके अनुसार भू नक्शा में पृथक से तरमीम करे, पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 07/03/2022 को सर–ए–ईजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:40:19 IST
Reason: SelfAttested